तकनीकी मिशनों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा

1110. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच टैक्नीकल मिशनों (प्रौद्योगिकी मिशन) के लिये "सामाजिक लेखा परीक्षा" का प्रबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार के मूल्यांकन के अनुसार उपर्युक्त मिशन अपने मुख्य उद्देश्यों में कहां तक सफल रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी अभिकरणों द्वारा किये जा रहे दावों का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन करना, और

विश्वसनीय और प्रयोजनमूलक पुनर्निवेश की प्रणाली स्थापित करना जो लोगों की आवश्यकताओं, चिन्ताओं और समस्याओं के प्रति जागरूक होगी ।

(ग) वर्ष 1988-89 के लिये राष्ट्रीय मिशन प्रलेखों में उल्लिखित उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

बड़े बांधों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

1111. **श्री अजीत जोगी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े बांधो के निर्माण पर उस समय तक प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है, जब तक कि सिंचाई विभाग द्वारा बड़े-बड़े बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले आवासी लोगों को उनकी संस्कृति, धर्म, आर्थिक और शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित ढंग से पुनर्वासित नहीं कर दिया जाता है ।

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्णय को नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजना पर भी लागू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले इन जन-जातीय लोगों के उचित पुनर्वास के लिये सरकार द्वार कौन-कौन से नये और प्रभावी वैकल्पिक कदम उठाये जायेंगे ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । स्वीकृति तथा योजनाओं में शामिल करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं की जांच करते समय, केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण आवश्यक पुनर्वास तथा पुनःस्थापन कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान देते है

(ख) और (ग) जहां तक नर्मदा सागर तथा सरकार सरोवर परियोजनाओं का संबंध है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में पुनर्वास तथा पुनःस्थापन के लिये राज्य के प्रस्ताव का निरीक्षण करने तथा इस मामले में आवश्यक निदेश देने के लिये भारत सरकार के सचिव (कल्याण) की अध्यक्षता में पुनर्वास संबंधी विशिष्ट उप-समूह है

मृत/विकलांग अधिकारियों के आश्रितों का पुनर्वास

1112. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध में मारे गये अथवा ऐसे युद्धों में स्थायी रूप से विकलांग

हो गये सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाय गये हैं;

(ख) क्या सरकार युद्धभूमि में मारे गये अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गये भारतीय शांति सेना के जवानों के आश्रितों के लिये सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ पद आरक्षित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जिन जवानों की युद्ध में मृत्यु हो जाती है या जो गम्भीर रूप से निशक्त हो जाते हैं (निशक्तता 50% से अधिक हो जाती है या रोजगार के लायक नहीं रह जाते हैं), उन पर आश्रित दो व्यक्तियो को रोजगार कार्यालय के माध्यम से केन्द्र सरकार के अधीन भरे जाने वाले समूह "ग" और "घ" पदों पर नियुक्त करने के लिये "11-क" प्राथमिकता दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां/आश्रित अपना रोजगार स्थापित करने के लिये भी कुछ रियायतें पाने के पात्र हैं। सुरक्षा कार्मिकों के लिये आरक्षित कोटे में से वे तेल उत्पादों की कुछ एजेंसियां आवंटित किये जाने के भी पात्र हैं।

(ख) और (ग) रक्षा सेवाओं के जिन कार्मिकों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों अर्थात् उनका पुत्र/पुत्री, नजदीकी रिश्तेदार रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराये बिना रिकार्ड कार्यालय/रेजीमेंटल केन्द्र। मृतक की अपनी मूल कोरों या यूनिटों। सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं में उपलब्ध समूह "ग" अथवा समूह "घ" के उपयुक्त सिविल पदों पर नियुक्ति के पात्र होते हैं, बशर्ते वे इन पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पूरी करते हों। युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करने वाले भारतीय शांति सेना के जवानों के आश्रित भी उपर्युक्त रियायतें प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त वीरगति प्राप्त भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर भारत सरकार में नौकरियां देने का भी प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार के अधीन उनके पुनर्नियोजन के अतिरिक्त रक्षा मंत्री ने विभिन्न राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को भी लिखा है और जहां आवश्यक हो, नियमों में छूट देकर अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिये उनका सहयोग मांगा है। राज्यों। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से यह अनुदेश जारी करने के लिये भी अनुरोध किया गया है कि जब कभी भी वीरगति को प्राप्त भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के आश्रित रोजगार कार्यालय के माध्यम से, जहां कि उनके नाम उच्च प्राथमिकता के आधार पर भेजे जाते हैं, रोजगार प्राप्त करने हेतु अनुरोध करें, उन्हें तत्काल समुचित रोजगार देने के लिए विशेष प्रयास किये जायें।

Production of Indigenous Submarine

1113. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether indigenous as well as Soviet alternatives to the West German submarine are being explored following the decision to terminate the HDW programme and not to place the order with the HDW shipyard for the fifth and sixth submarines; if so, the details thereof;

(b) whether the delay in finalising the deal will greatly affect India's defence preparedness in regard to naval forces; and

(c) if so, by when the final decision in this regard is likely to be taken?